न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-221RAAJodhpur2023-113RTA223 Sohanlal Vs Birbalram etc

सोहनलाल उर्फ सोनाराम पुत्र मलूराम जाति विश्नोई, निवासी-लक्ष्मणनगर, चाडी, तहसील आउ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बीरबलराम पुत्र मलूराम
2. तुलछाराम पुत्र मलूराम
3. श्रीमती शांति पत्नी तुलछाराम
   जतियान् विश्नोई, निवासीगण- लक्ष्मणनगर, चाडी, तहसील आउ, जिला फलोदी।
4. शाखा प्रबंधक जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा फलोदी।
5. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा चाडी, तहसील आउ, जिला फलोदी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आउ, जिला फलोदी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 130/2022 बीरबलराम बनाम तुलछाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः व सात

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 130/2022 अनवान बीरबलराम बनाम तुलछाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 451 रकबा 5.5685 हैक्टेयर, खसरा नं. 564 रकबा 5.8275 हैक्टेयर ग्राम सियागनगर तहसील आऊ, खसरा नं. 1577/190 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, खसरा नं. 1578/190 रकबा 8.3527 हैक्टेयर, खसरा नं. 181 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नं. 182 रकबा 4.3706 हैक्टेयर ग्राम श्रीलक्ष्मणनगर तहसील आऊ, खसरा नं. 551 रकबा 8.3203 हैक्टेयर ग्राम करणीनगर तहसील बापिणी के संबंध में धारा 53, 92-क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 08 मई 2023 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को खारिज करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है, जबकि विभाजन के इस वाद में वादी के वाद पत्र अनुसार डिक्री जारी न कर प्रतिवादी संख्या दो के काउंटर क्लेम के अनुसार घोषणात्मक एवं विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जानी चाहिए थी। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम एवं इसके समर्थन में प्रस्तुत शहादत को ठीक ढंग से समझा ही नहीं एवं वाद के बिंदु संख्या तीन को प्रतिवादी संख्या दो के विरुद्ध निर्णित कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी संख्या दो द्वारा अपने जवाब दावे एवं काउंटर क्लेम में वास्तविक स्थिति एवं पूर्वमें आपसी विभाजन की स्थिति को बिलकूल स्पष्ट कर दिया था, जिसका खण्डन वादी द्वारा नहीं किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के बीच पुश्तैनी भूमि का आपसी विभाजन वर्षो पूर्व हो चुका था, जिसके अनुसार वादी के बंट में गांव लक्ष्मणनगर के खसरा नं. 181 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नं. 182 रकबा 4.3708 हैक्टेयर तथा गांव करणीनगर के खसरा नं. 551 रकबा 8.3203 हैक्टेयर कुल रकबा 12.7718 हैक्टेयर भूमि रखी गई। उक्त भूमि पर वादी का रहवासीय मकान, ढाणी, टांका, नलकूप इत्यादि खुदा हुआ है तथा वादी उक्त भूमि पर सिंचाई करता है। वादी का उपरोक्त खसरान् की भूमि पर तन्हा कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या एक के बंट में गांव सियागनगर के खसरा नं. 451 रकबा 5.5685 हैक्टेयर, खसरा नं. 564 रकबा 5.8275 हैक्टेयर कुल रकबा 11.3960 हैक्टेयर की भूमि रखी गई है तथा प्रतिवादी संख्या एक तन्हा रूप से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या दो के हिस्से में ग्राम लक्ष्मणनगर के खसरा नं. 1577/190 रकबा 0.02104 हैक्टेयर, खसरा नं. 1578/190 रकबा 8.3527 हैक्टेयर एवं ग्राम श्रीकृष्णनगर के खसरा नं. 1596 रकबा 2.7923 हैक्टेयर कुल रकबा 11.3554 हैक्टेयर भूमि रखी गई। अपीलांट्स का उक्त आराजी पर वक्त विभाजन से कब्जा काश्त है तथा स्वतंत्र उपभोग करता आ रहा है। आपसी बंटवाड़े में वादी को उसके 1/3 हिस्से से अधिक 78.18 बीघा भूमि दी गई है। प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में 70.08 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या दो/अपीलांट के हिस्से में 70.04 बीघा भूमि रखी गई है जो 1/3 हिस्से से कम है। फिर भी वादी ने केवल प्रतिवादी संख्या दो को हैरान व परेशान करने के उद्धेश्य से वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने काउंटर क्लेम में पक्षकारान् के मौजूदा कब्जा काश्त के जो कथन किये एवं शहादत पेश की, उसका खण्डन वादी द्वारा नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या दो का काउंटर क्लेम खारिज करना कतई न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी उल्लेखनीय है कि विभाजन के वाद में अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 मई 2023 को अपास्त फरमाया जावे एवं वादी के वाद को खारिज किया जाकर माफिक कांउटर क्लेम घोषणा एवं विभाजन की डिक्री जारी की जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर.2013 एस.सी. पेज 58, आदेश 18 नियम 4 सीपीसी की प्रति पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अपीलांट बंटवाड़ा करवाना नहीं चाहता है, इसलिए मामले को लंबा करने के लिए हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जून

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2022 को वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या दो दिनांक 07 सितंबर 2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय काउंटर क्लेम पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मार्च 2023 को वादी से जवाबबुल प्राप्त कर, उसी दिन तनकीयात कायम की गई तथा वादी की साक्ष्य भी पूर्ण कर ली गई। आदेश 18 नियम 04 सीपीसी में धारित किया गया है कि **प्रत्येक गवाह का मुख्य परीक्षण की साक्ष्य शपथ-पत्र द्वारा होगी, जिसकी प्रति साक्ष्य लेने वाला पक्षकार विपक्षी को सुपुर्द करेगा।** ए.आई.आर.2013 एस. सी. पेज 58 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि आदेश 18 नियम 04 के तहत न केवल जिरह का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बल्कि जिरह हेतु पर्याप्त अवसर भी प्रदान किये जाने चाहिए, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी धारित किया गया है कि केवल शपथ-पत्र को साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों के तहत वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहन से प्रतिवादी अपीलांट को जिरह के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य समान होने से हस्तगत प्रकरण पर लागू होते है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं आदेश 18 नियम 04 के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को वादी के गवाहन से जिरह के अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 130/2022 अनवान बीरबलराम बनाम तुलछाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मई 2023 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को वादी के गवाह से जिरह का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करें।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर